भारत: "गुदामैथुन" कानून द्वारा औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों को निरंतरता प्रदान

न्यायालयों को चाहिए वयस्कों के बीच सहमति से हुये समलैंगिक कृत्यों का गैर अपराधीकरण करे।

(दिल्ली, जून) - जबकि दिल्ली का उच्च न्यायालय वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले समलैंगिक आचरण को भारत में गैर कानूनी ही रहने दिये जाने के विषय पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि देश की नई सरकार को कानून में सुधार का विरोध नहीं करना चाहिए । इस संगठन ने आज अपनी एक रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद जारी किया जिसमें दस्तावेजीकरण किया गया है कि किस तरह दुनिया के अधिकतर "गुदामैथुन कानून" ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के घिसे पिटे अवशेष हैं।

"एक पराई विरासत:ब्रिटिश उपनिवेशवाद में "गुदा मैथुन" कानून के मूल" नाम की इस 90 पन्नों की रिपोर्ट में सविस्तार बताया गया है कि कैसे भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 377 को, जिसमें कि प्रकृति के नियम के खिलाफ शारीरिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को अपराधिक करार दिया है और जिसके अंतरगत आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है, ब्रिटिश शासन द्वारा सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में भारत में लागू किया गया । ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय अधिकारियों से आव्हान किया कि वे इस कलंकित प्रावधान में सुधार का समर्थन करें. एवं जिन अन्य सरकारों ने इन पुराने कानूनों को बनाए रखा है उन्हें भी इन कानूनों को रद्द करने के लिये कहा। वयस्कों के बीच सहमति से स्थापित यौन संबंधों का अपराधीकरण कर के धारा 377, गोपनीयता और भेदभाव से आजादी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

"एक देश जिसे इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व है, क्यों इस तरह की विधाओं को अपनी कानून की किताबों में बनाये रखे जो कि खुले तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हैं ?" कहना था ह्यूमन राइट्स वॉच के उभयलिंगी, समलैंगिक और परालिंगी (एल जी बी टी) कार्यक्रम में शोध कर्ता दीपिका नाथ का। "और क्यों एक राष्ट्र, जिसका एक सुसंपन्न नागरिक समाज है, जिसमें एक जीवंत एल जी बी टी मानव अधिकार आंदोलन शामिल है, एक औपनिवेशिक नैतिकता कोड को पकड़ कर बैठे?"

एल जी बी टी अधिकार संगठनों, ने कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बंगलौर, में 12 जून, और 25 जून 2009 के बीच इस रिपोर्ट और उच्च न्यायालय के मामले से संबंधित चर्चाएं और अन्य आयोजन किये हैं । इन आयोजनों का संचालन करने का काम इन संगठनो ने किया - कोलकाता में प्रत्याय जेन्डर ट्रस्ट और सैफो फॉर ईक्वालिटी, मुंबई में लेबिया, चेन्नई में शक्ति सेन्टर, बंगलौर में आल्टर्नेटिव लॉ फोरम, संगमा, और लैस्बिट । इन गर्मियों के सेशन में दिल्ली उच्च न्यायालय से इस मामले पर अपना निर्णय देने की उम्मीद है ।

भारतीय दंड संहिता ब्रिटेन के उपनिवेशों के लिये तैयार पहला व्यापक आपराधिक कोड था, यह कोड पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में थोपे गये अन्य कोडों के लिये एक मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ । धारा 377 के अन्य संस्करण भी एशिया और अफ्रीका में इसी तरह के कानूनों के लिए आदर्श थे । अधिकतर ऐसे देश जो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराधिक करार देते हैं, उन्हें यह कानून अपने उपनिवेशकों से विरासत में मिले, लेकिन अब इनमें से कई का यह दावा है कि यह उनकी उपनिवेश के पूर्व की परंपराओं और राष्ट्रीय पहचान का एक भाग हैं।

समलैंगिक व्यवहार के गैर आपराधिक संचालन के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में भारत सरकार का दावा है कि गुदामैथुन कानून परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं । इसके पूर्ण विपरीत, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट से पता चलता है कि न कि समलैंगिक आचरण, बल्कि होमोफोबिक (समलैन्गिक आचरण से भय़भीत) कानून एक पश्चिमी आयात है । औपनिवेशिक नैतिकता कानून के अन्तर्गत पूरे के पूरे वर्गों को, जैसे हिजड़ा (श्रमिक वर्ग पुरुष से स्त्री बने परालिंगी व्यक्ति), "आपराधिक जनजाति" के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन्हें केवल सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत होने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है ।

"धारा 377, औपनिवेशिक रहे देशों में अन्य समकक्ष कानूनों की तरह, ब्रिटिश शासन की विरासत है," नाथ ने कहा । "यह चिंता का विषय है कि भारत की तरह के परा औपनिवेशिक लोकतांत्रिक देशों में भी इन अलोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण कानूनों को जबरदस्ती थोपा हुआ न मान कर, परंपराओं का दर्जा दिया जा रहा है"।

इसके अलावा, धारा 377 और अन्य ब्रिटिश युगीन गुदामैथुन कानूनों में सहमति और गैर सहमति, वयस्कों के आपसी यौन आचरण और बच्चों के यौन शोषण के बीच कोई भेद निर्धारित नहीं किया गया है। रिणामस्वरूप, इन कानूनों के अंतरगत कई बलात्कार पीड़ित और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे किसी प्रभावी कानूनी संरक्षण से वंचित रह जाते हैं।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज कर्नाटक की सन 2001 में की गई तथ्य खोजी रिपोर्ट में पाया गया कि धारा 377 का उपयोग पुलिस द्वारा समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों को ब्लैकमेल करने के लिए, अवैध तरीके से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, स्त्री समलैंगिकों को व उन महिलाओं को जिनके यौन संबंध महिलाओं के साथ हों, को धमकाने के लिये किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में याचिकाकर्ताओं ने भी कहा है कि धारा 377 एचआईवी / एड्स कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए और खासकर हिजड़ा जैसे सीमांत समुदायों के सदस्यों को लक्षित करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है.

1994 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने - जो कि आधिकारिक रूप से इन्टरनैशनल कोवेनैन्ट ऑन सिविल एन्ड पोलिटिकल राइट्स (ICCPR) की व्याख्या करती है - कहा कि गुदामैथुन कानून गोपनीयता

और भेदभाव के खिलाफ अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

"मलेशिया से युगांडा तक, सरकारें नागरिक समाज को परेशान करने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिये, राजनीतिक दुश्मनों को बदनाम करने और लोगों के जीवन को नष्ट करने के लिये इन कानूनों का उपयोग करती हैं," नाथ ने कहा.

जिन देशों और उपनिवेशों में इस ब्रिटिश कानून के संस्करण को बनाए रखा है उनमें शामिल हैं:

एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में: बंगलादेश, भूटान, ब्रुनेई, म्यांमार (बर्मा), भारत, किरिबाती, मलेशिया, मालदीव, मार्शल द्वीप समूह, नॉउरू, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, श्रीलंका, टोंगा, तुवालु, और पश्चिम समोआ. (यही ब्रिटिश कानून विरासत में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, हांगकांग, और न्यूजीलैंड सरकारों ने भी पाया, लेकिन इनने अब तक इसे समाप्त कर दिया है)

अफ्रीका में: बोत्सवाना, गांबिया, घाना, केन्या, लेसोथो, मलावी, मॉरीशस, नाइजीरिया, सेशेल्स, सियरालेओन, सोमालिया, स्वाजीलैंड, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, और जिम्बाब्वे.

कैरिबियन में भी ग्यारह पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में भारत पर लागू ब्रिटिश मॉडल से भिन्न गुदामैथुन कानून बरकरार रखे गये हैं.